PUNE RESEARCH TIMES ISSN 2456-0960
AN INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY STUDIES VOL 4, ISSUE 2

सांप्रदायिक समस्या : गांधीजी के विचार

डॉ. कमलेश कुमार सारासर

सह आचार्य, इतिहास

स्व0 राजेश पायलट राजकीय स्ना0 महाविद्यालय, बांदीकुई

(राजस्थान) भारत

सारांश

गांधीजी सर्वप्रथम स्वयं को हिन्दू कहते थे और अपने विचारों में उन्हाने बहुत कुछ हिन्दू धार्मिक ग्रन्थो से ग्रहण किया था । तथापि उकी दृष्टि सीमा बडी व्यापक थी जिसके कारण हिन्दू धर्म के विषय में उनका दृष्टिकोण संकीर्ण नरहीं रहा । साबरमती आश्रम में आयोजित एक सभा में भाषण देते हुए उन्होने कहा कि अपने अध्ययन और गवेषणा के आधार पर मैं बहुत पहले इस निष्कर्ष पर पहुॅच चुका हूं कि सभी धर्म सत्य है किन्तु सभी में कुछ दोष भी है । और इस कारण जहॉ मुझे अपने धर्म के प्रेम है वही मुझे अन्य धर्मो के प्रति भी आदर का भाव रखना चाहिए । वे हिन्दू धर्म के मूल तत्व के पुजारी थे और हिन्दू धर्म ग्रन्थो को पुनर्व्यास्थापित करना अपना अधिकार मानते थे । यहॉ तक कि अपने मूलभूत सिद्वान्तों के विरोध में वे इन धर्मग्रन्थों का परित्याग कर देने को तत्पर थे । उनरका आग्रह था कि कोई भी धर्म कभी सही अर्थो में धर्म कहलाने का अधिकारी है । जब वह प्रेम और शान्ति की शिक्षा देता हो । इरूलाम का अर्थ शान्ति है और इसी प्रकार हिन्दू धर्म की उत्कृष्टता उनकी सहिष्णुता में निहित हवै क्योंकि वह कभी सभी धर्मो को सार्वभोमिकता का प्रतिपादन करता है । इसी आधार पर के इस निष्कर्ष पर पहुॅचे थे कि धर्म कके नाम पर लडना बुद्विहीनता का परिचायक है । गांधी जी ने लिखा '8 मैं इस्लाम को भी ठीक उसी प्रकार शान्ति की शिक्षा प्रदान करने वाला धर्म मानता हूं जिस प्रकार कि ईसाई धर्म बौद्व धर्म और हिन्दू धर्म को ।

गा।धीजी की मान्यता है कि सयभी धर्म यख है किन्तु इन धर्मो के अनुयायियो में मनुष्य होने के नाते कमियॉ होती है और इसी कसारण इनमें भी कुछ लोग समाविष्ट हो जाते हैं । यहॉ गांधीजी स्पष्टतः धर्म के अनुसर आभ्यन्तर या इसकी मूलदृष्टि में तथा इसके संगागत रूप में भेद करते है । प्रत्येक धर्म का मूल इसी मूलदृष्टि में है जो स्वाभाविक रूप में सार्वभौमिकता एवं विश्वात्मकता के तत्व में विशेषित होती है। किसी भी मत के परम्परागत रूप के समान धर्म का संस्थागत रूप भी सर्वथा परिष्कृत नहीं होता किन्तु संस्थागत धर्म के दोषों को उकनी मूलद1ष्टि पर आरोपित नहीं किया जा सकता । गांधीजी ने कहा कि यदि इससे नैतिक उत्कर्ष की प्राप्ति नहीं होती तो धर्म परिवार्तन से कोई प्रयोजन सिद्व नहीं होता । वे ऐसे लोगों के कट्टर आलोचक थे जो दूसरो को अपने धर्म में दीक्षित कराने में रूख्ि रखते हो । उनका विचार था कि सही अर्थो में धार्मिक पुरूष को इस बात में ही सन्तोष मिलना चाहिए कि दूसरे अपने अपने धर्मो का सही रूप में अनुपालन कर रहे हैं । उनकी कामना थी कि हिन्दूम अच्छे हिन्दू और मुसलमान अच्छे मुसलमान बने । हिन्दू मुस्लिम एकता की समस्या के सम्बन्ध में वे प्रारम्भ से ही संवेदनशील थे और वे इन दोनों वर्गो में अवसरवादिता पर आधारित सन्धि मात्र नहीं अपितु उनके दिलों का मिलन चाहते थे ।

गांधीजी धर्म के नाम पर किसी प्रकार के बल प्रयोग के सर्वथा विरोधी थे । उन्हाने यह विचार व्यक्त किया है कि शुद्वि से तात्पर्य परिशुद्वता की स्थिति की प्राप्ति का प्रयास होना चाहिए और तबलीग को भी इसी अर्थ में समझा जाना चाहिए । यदि कोई आर्य समाजी और मुसलमान अपने अपने धर्मो का उपदेश करते हैं तो इससे हिन्दु मुस्लिम एकता पर कोई द ष्प्रभाव नहीं पडना चाहिए । यदि मलकान लोग हिन्दू धर्म पुनः अंगीकार करना चाहते हैं तो इससे कोई अन्तर नहीं पडता न्ति यह वांछनीय है कि हिनदू और मुसलमान एक दूसरे के धर्म के निन्दाकार्य में प्रवृत्त न हो । साबरमती आश्रम में फ्रैण्डस आफ द इन्टरनेशनल फैलोशिप'' की सभी में उन्होने कहा कि – हृदय से हमारी प्रार्थना यदि होनी चाहिए कि हिन्दू और अच्छा हिन्दू बने, मुसलमान और अच्छा मुसलमान बने और ईसाई अच्छा ईसाई । मात1भाव का यह आधारभूत सत्य है ––– वास्तविक तथा आस्थापरक धर्म परिवर्तन के दृष्टान्त भी हो सकते हैं । यदि कुछ लोग अपने आन्तरिक सन्तोष तथा उन्नति के लिए अपना धर्म बदलना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए ।

खिलाफत आन्दोलन के बाद हुए हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिक दंगों के कारणों की समीक्षा ने इस बात पर बल दिया था कि इस समस्या का हल हिन्दुओं और मूसलमापनो के दृष्टिकोणो में परिवर्तन लोकर ही हो सकता है। वे दंगे मुसलमानो द्वारा गो–वध किये जाने तथा हिन्दुओं द्वारा मस्जिद के सामने बाजा बजाने जैसी छोटी छोटी बातो से आरम्भ हुए थे । गांधीजी का यह मानना था कि बल प्रगयोग अथवा हिन्सा द्वारा इन समस्याओं को नहीं सुलझाया जा सकता । इनका समाधान तभी सम्भव है जब जिन्दूम और मुसलमान दोों ही स्वेच्छापूर्वक सही दृष्टिकोण अपनाते हुए एक दूसरे के धर्मो का आदर करे तथा ऐसा कुछ भी न करे जिससे एक दूसरे क भावनाओं को ठेस पहुॅचती हो ।

गांधीजी का यह विचार था कि अल्पसंख्यक वर्गो का निर्धारण तीन आधारों पर हो सकता है : धार्मिक (उदाहरण्णार्थ मुसलमान) राजनीतिक (उदाहरणार्थ उदारवादी तथा सामाजिक (अडूत वर्ग) जहॉ तक हिन्द समाज का व्रश्न है , हिन्दू समाज का स्वयं ही कोई एकरूपात्मक स्वरूप नहीं है और इस कारण हिन्दुओं के बहुसंख्यक वर्ग की बात करना सर्वथा कल्पनाश्रित है जिसका कोई उचित आधार नहीं है ।

गांधी जी के प्रयास

प्रथम विश्व युद्व के पश्चात हिन्दु मुस्लिम सम्बन्धों में बडा सुधार हुआ था । चाहे वह यूरोपीय राजनीति का ही परिणाम क्यों न रहा हो , वास्तविकता यही है कि मुसलमानों और अंग्रेजों के बीच की दूरी बढ गई थी और मुसलमान अपने हिन्दू भाईयों के पर्याप्त निकट आ गए थे । लखनउ समझौता उनके इस दृष्टिकोण का परिचायक है ।

साम्प्रदायिकता के इतिहास भू खिलाफत आन्दोलन का विशिष्ट स्थान है 1920'–21 में उपलब्ध कांग्रेस– खिलाफत एकता से राजनीतिक क्षेत्र में कोई विशेष लाभ नहीं हुआ क्योंकि कमला अतातुर्क के अभ्युदय ने खिलाफत की व्यवस्था को एक नया रूप दे दिया था । तथापि साम्प्रदायिकता के इतिहास में कोई अन्य घटना समानान्तर महत्व नहीं रखती । खिलाफत पर आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी । इन दोनों कर्मो के दृष्टिकोण में हुए परिवर्तन को यहॉ आसानी से देखा जा सकता है । गांधीजी और मुहम्मद अली ने देश के

विभिन्न भागों का दौरा किया और एक मंच से सार्वजनिक सभाओ में भाषण भी दिए । दोनों वर्गो में एक दूसरे को अच्छी नीयत पर विश्वास की भावना व्याप्त थी। दोनों स्वेच्छापूर्वक एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने को तत्पर थे और उन्होने गो–संरक्षण तथा मस्जिदों के आगे बाजा न बजाये जाने जैसी समस्याओं का पारस्परिक सहयोग की भावना के आधार पर सुलझाने का प्रयास किया । किन्तु 1924 में जेल से छूटने पर गांधीजी को यह देखकर बडा खेद और संताप हुआ कि देश पुनः साम्प्रदायिकता हिंसा में निमग्न हो गया है । सभी जगह दोनरो दलों में कटुता और तनाव व्याप्त था ।

संभल, अमेडी तथा विशेषरूपेण कोहाट में भडके साम्प्रदायिक दंगों से गांधीजी अत्यन्त व्यथित हुए । इन दंगों के कारणों का विश्लेषण करते हुए मोहम्मद अली ने गांधीजी को एक पत्र में लिखा कि ' हम हार गए हैं और सरकार जीत गई है । '' उन्होने लिखा कि संयम आन्दोलन तथा शुद्वि आन्दोलन ने इन दंगों का सूत्रपात किया । जिसमें तबलीग के नेतृत्व में विद्यमान धर्मान्ध तबके ने अपना योगदान दिया । अत्यन्त मानसिक व्यथा की स्थिति में गांधीजी ने दिल्ली में मोहम्मद अके निवास पर अपना दीर्धकालीन अनशन आरम्भ किया । उपके उपवास के दौरान दिल्ली में एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया । 26 सितम्बर को आरम्भ हुए इस आन्दोलन के अध्यक्ष पण्डित मोतीलाल नेहरू थे और इसमें विविध मत मतान्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाले 300 प्रेतिनिधियो ने भाग लिया । अली बन्धु , मौलाना आजाद, स्वामी श्रद्वानन्द, मालवीय जी, श्रीमकती ऐनी बेसिन्ट आदि ने सम्मेलन के विचार विमर्श में खुलकर भाग लिया । सम्मेलन ने अन्तरात्मा तथा धर्म की स्वतन्त्रता पर बल दिया और अजिहंसा में अपना विश्वास प्रकट किया ।

गांधीजी द्वारा उपवास प्रारम्भ किए जाने तथा एकता आन्दोलन के आयोजन के बाद उपरी तौर पर यह प्रतीत होने लगा कि स्थिति सुधर रही है । गांधीजी ने 21 दिनों के पश्चात सभी वर्गो के नेताओं की उपस्थिति में 8 अक्टूबर 1924 के दिन अपना उपवास तोडा और इस पर आयोजित एक विशेष समारोह में कुरान की आयतों , ईसाई प्रार्थनाओ, उपनिषदों के श्लोकों और वैष्णव भक्तिगीतों का संगायन हुआ । किन्तु वास्तव में स्थिति सुधरी नहीं थी और दोनो वर्गो में अभी कटुता पूरी तरह से बनी हुई थी । कुछ ही महीनो में दंगे पुन : भडक उठे और इस प्रकार गांधीजी के उपवास का प्रभाव अस्थायी ही रहा ।

संदर्भ सूची

- यंग इण्डिया, दि0 20–1–1927, हरिजन, दिनांक 22–9–1940
- यंग इण्डिया, दिनांक 29–5– 1924
- वही, दिनांक 17–12–1925 तथा 23–4–1931 तथा गांधी , मेरे सपनो का भारत, पृ0 274–276
- यंग इण्डिया दिनांक 6–10– 1920
- इस प्रसंग में उन्होने लिखा है कि वे धर्म परिवर्तन के सर्वथा विरूद्व हैं, चाहे वह हिन्दुओं का ''शुद्वि आन्दोलन '' हो या ''तबलीग '' अथवा ईसाईयों द्वारा किया जाने वाला धर्मान्तरण हो । धर्म परिवर्तन वस्तुतः हृदय– परिवर्तन होना चाजिए जिसका साक्षी केवल ईश्वर होता है । यंग इतिहास, दिनांक 16–1–1927 में उनका ''शुद्वि और तबलीग '' शीर्षक लेख ।
- वही, दिनांक 21–5– 1924
- द0 यंग इण्डिया, दिनांक 19–11– 1928
- हरिजन, दिनांक 21–10–1939 , द फिक्शन ऑफ मेजोरिटी '' शीर्षक लेख ।

यद्यपि मोहम्मद अली यह मानते थे कि संभवत : हर परिस्थिति में गो–संरक्षण तर्क संगत नहीं है किन्तु सामान्यत : उन्होने गो– संरक्षण का प्रचार किया। इसी प्रकार, सड़क पर मस्जिद के सामने बजा बजाने का सर्वाथा निषेध असंभव था किन्तु सार्वजनिक नमाज के अवसर पर बाजा बजाया जाना नागरिक नियमों के विरूद्व माना जाना चाहिए । द्र0 केगरी, दि0 4–12– 1923 में प्रकाशित मोहम्मद अली के लेख का सार, मोहम्मद अली पेपर्स , माइक्रोफिल्म , रील सं0 5 ।